न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री मुरारीलाल शर्मा (आर॰ए॰एस॰)

मुकदमा नम्बर 77/2019 दिनांक–05–08–2019

श्री फूलचन्द पुत्र श्री नथू जाति मेघवाल निवासी गोठडा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं।

–आवेदक

बनाम

1. भागीरथ पुत्र नथू जाति मेघवाल निवासी गोठडा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
2. बनारसी देवी पत्नी श्री भगुता जाति मेघवाल निवासी गोठडा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
3. राजू पुत्री भगूता जाति मेघवाल निवासी गोठडा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
4. सुमित्रा पुत्री भगुता जाति मेघवाल निवासी गोठडा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
5. तारामणी पुत्री भगुता जाति मेघवाल निवासी गोठडा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
6. अनिता पुत्री भगुता जाति मेघवाल निवासी गोठडा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
7. अनिल पुत्र भगुता जाति मेघवाल निवासी गोठडा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
8. राकेश कुमार उर्फ राशकुमार पुत्र भगुता जाति मेघवाल निवासी गोठडा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
9. सुभाष पुत्र भगुता जाति मेघवाल निवासी गोठडा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
10. कजोड़ (मृतक)

10/1 श्रवणी पत्नी कजोड़
10/2 मनोज पुत्र कजोड़
10/3 रमेश पुत्र कजोड़
10/4 इन्द्राज पुत्र कजोड़
10/5 सोनम पुत्री कजोड़

11. तहसीलदार लैण्ड होल्डर जरिये राजस्थान सरकार तहसील नवलगढ

–अनावेदकगण

वकील आवेदक : – श्री सुरेन्द्र सिंह भर्रा
वकील अनावेदक :– श्री अमर सिंह शेखावत

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा

आदेश

दिनांक 19.11..2019

आवेदक ने प्रार्थना बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम गोठडा तहसील नवलगढ की सरहद में काश्त की भूमि खसरा नम्बर 1331/78 रकबा 0.05 हैक्टर खसरा नम्बर 78 रकबा 1.45 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.50 हैक्टर अवस्थित है, जो आवेदक एवं अनावेदक नम्बर 1 लगायत

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner

(10/5) की शामलाती काश्त की भूमि है जिसकों प्रार्थना पत्र विवादित काश्त की भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है। प्रार्थना पत्र की धारा 2 में वर्णित काश्त की भूमि का खाता शामलाती है। आवेदक एवं अनावेदकगण ने आपसी बाहमी बंटवारा कर रखा है। मोके पर काबिज है। बाहमी बंटवारा को नजरी नक्शा में दर्शाया गया है। नजरी नक्शा को प्रार्थना पत्र का भाग माना जावे। अनावेदकगण बदमाश प्रकृति के व्यक्ति है। बदमाश व्यक्तियों का गिरोह बना रखा है। अनावेदकगण आवेदक को आये दिन प्रार्थना पत्र की धारा 2 में वर्णित काश्त की भूमि की सीमा को लेकर झगड़ा करते है। अनावेदकगण दिनांक 01.08.2019 को आवेदक की कब्जाशुदा काश्त की भूमि पर आये तथा आवेदक को एलानिया धमकी देने लगे कि हम अपनी मर्जी के अनुसार बंटवारा करेगें, उसमें तारबन्दी करेगें। पुख्ता निर्माण कार्य करेगें, खुर्द बुर्द करेगें। वादी शान्तिप्रिय व कानून को मानने वाला व्यक्ति है। कानून में विश्वास रखता है। आवेदक ने अनावेदकगण की उपरोक्त नाजायज कृत्य के बारे में गांव के मौजिज व्यक्तियों व रिश्तेदारों को बुलाकर अवगत करवाया तो अनावेदकगण ने आवेदक को कहा कि हम कानून को कुछ भी नही मानते है हम बाहुबल आदमी है ताकत के बल पर सब कुछ कर सकते है। आप अपनी मर्जी के अनुसार कुछ भी करों। अगर अनावेदकगण अपनी नाजायज मंशा में सफल होते है तो आवेदक को भंयकर हम तकलीफ होगी आवेदक बर्बाद हो जायेगा। जिसका खातियाजा किसी भी तरह से वहन नही हो सकता। इस प्रकार आवेदक को मजबूर होकर यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थना पत्र के सथ संलग्न नजरी नक्शा में आई भूमि पर कब्जा है अतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णिय क्षति आवेदक के पक्ष में है।

प्रार्थन पत्र में वर्णित ग्राम गोठडा में अवस्थित काश्त की भूमि खसरा नम्बर 1331/78/0.05, 78/1.45 कुल किता 02 कुल रकबा 1.50 हेक्टर में अनावेदकगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह जब तक विधिवत तरीके से विभाजन नही हो जावे वह उपरोक्त काश्त की जमीन में तारबन्दी नही करे, खुर्द बुर्द नही करे किसी विशिष्ट भू–भाग पर कब्जा नही करे, विक्रय नही करे, वादी को उक्त भूमि में अपने कब्जा काश्त की भूमि में काश्त करने से नही रोके। ऐसा कार्य प्रतिवादीगण न तो स्वयं करे न अपने दायभागियों रिश्तेदारों नौकरों से करवाये, मोके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी अनावेदकगण की गई। अनावेदक नं. 1 व 2, 7 लगा॰ 9, 10/1, 10/3, 10/4 की ओर वकील श्री अमर सिंह ने अपना वकालत नामा पेश किया तथा अनावेकदगण संख्या 3 लगा॰ 6, 10/2, 10/5 बावजूद नोटिस तामील के उपस्थित न्यायालय नही होने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अनावेदक नं. 1 व 2, 7 लगा॰ 9, 10/1, 10/3, 10/4 की ओर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया कि प्रार्थना पत्र बहुत ही कमजोर आधारों पर प्रस्तुत किया है जो हर्जे खर्चे के खारिज होने योग्य है। प्रार्थना पत्र की धारा 2 जिस तरह से दर्ज है

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

Scanned by CamScanner

अस्वीकार है। वाके ग्राम गोठडा तहसील नवलगढ की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 1331/78, व ख.न. 78 रकबा क्रमशः 0.05, 1.45 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.50 हैक्टर अवस्थित है जो निडस एण्ड बाउडस से वर्षो पूर्व विभाजन का अपने–अपने हिस्से पर काबिज है परन्तु राजस्व रिकार्ड शामलाती में चला आ रहा है। प्रार्थना पत्र की धारा 3 जिस तरह से दर्ज है अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की धारा 2 मे वर्णित भूमि का वहमी बंटवारा वर्षो पूर्व कर लिया तथा अपने–अपने हिस्से पर कब्जा काश्त है। वाद द्वारा प्रस्तुत नक्शा गलत होन से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे के अनुसार काबिज है, मकानात बना रखे है, मुर्गी फार्म है परन्तु आवेदक के मन में बेइमानी आने के कारण से 9 वर्षो पूर्व बंटवारा से इन्कार कर अपनी मर्जी से अनावेदकगण को बेकाबिज करने हेतु नजरी नक्शा गलत प्रस्तुत किया है मोके के अनुसार आनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा उक्त अनुसार बंटवारा किया जाता है तो अनावेदकगण को कोई ऐतराज नही हैं। प्रार्थना पत्र की धारा 04 जिस तरह से दर्ज है अस्वीकार है। वाद ग्रस्त भूमि का निड्स एण्ड बाउडस के अनुसार मौखिक रूप से बंटवारा कर वर्षो से काबिज है परन्तु विधिवत बंटवारा नही होने के कारण से राजस्व रिकार्ड शामलाती चला आ रहा है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ नजरी नक्शा गलत होने से अस्वीकार है। मोके पर वर्षो पूर्व वहमी बंटवारा कर काबिज काश्त है। आवेदक ने बेइमानी पूर्वक गलत नजरी नक्शा पेश किया हैं। प्रार्थना पत्र की धारा 5 जिस तरह से दर्ज है अस्वीकार है। यह कहना गलत है कि अनावेदकगण बदमाश व्यक्ति है अथवा सीमा के बारे में झगडा करते हो दिनांक 01.08.2019 को कोई धमकी दी हो, शांतिपूर्व अपने अपने हिस्से पर काबिज है व शांतिपूर्वक उपयोग–उपभोग करते आ रहे है परन्तु आवेदक के मन में बेईमानी आ गई व अनावेदकगण को उसके हिस्से से बेकाबिज प्रार्थना पत्र की आड़ में करना चाहता है जबकि कानूनन ऐसा कोई अधिकार नही है। अनावेदक आवारा पशुओं से अपनी फसल की रक्षा करने के लिए अपने हिस्से में आई भूमि को तारबंदी करने के लिए स्वतंत्र है ताकि आवारा पशुओं से फसल की सुरक्षा हो सके परन्तु आवेदक के मन में बेईमानी आने व झगड़ालू प्रवृति का होने के कारण से उक्त प्रार्थना पत्र की आड़ में तारबंदी नही करने देने पर अमादा है। आये दिन झगडा करता है जिसकी वहज से अनावेदकगण की फसल आवारा पशुओं द्वारा फसल चौपट कर गई। कानूनन तौर पर आवेदक शामलाती खाते की भूमि में अपने हिस्से की भूमि तक अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त कर सकता है। चूंकि शामलाती खाते की भूमि तक अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त कर सकता है। चूंकि शामलाती खाते की भूमि में प्रत्येक सह खातेदार का प्रत्येक इंच पर कब्जा माना जाता है। इसलिए अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदक प्राप्त करने का अधिकारी नही है। आवेदक के बजाय अनावेदकगण को प्रथम दृष्टया मामला है व सुविधा का संतुलन भी अनावेदकगण को होन के कारण से अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदक प्राप्त करने का अधिकारी नही है। इसलिए आवेदक का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे के खारिज फरमाया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner

जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। बहस में वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को तथा वकील अप्रार्थी ने जवाब के तथ्यों को दोहराया। पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के निस्तारण हेतु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु तय करना अनिवार्य है। अतः सर्वप्रथम इन तीन बिन्दुओं को तय करना उचित है :–

1. प्रथम दृष्टया मामला :– प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि के सहखातेदार है तथा सह खातेदारी भूमि में सभी सह खातेदारों का प्रत्येक इंच पर कब्जा माना जाता है। मूल वाद में उभयपक्ष की सहमति से प्राथमिक डिक्री जारी हो चुकी है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में नही है।
2. सुविधा का संतुलन :– मूल वाद प्राथमिक डिक्री होने से सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में नही है।
3. अपूरणीय क्षति :– प्रार्थी व अप्रार्थीगण सह खातेदार होने तथा मूल वाद प्राथमिक डिक्री होने से प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होने की कोई संभावना नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान् अपना अपना वहन करेगे। निर्णय आज दिनांक 19.11.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

19-11-19

(मुरारी लाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2019.11.22 16:36:20 IST
Reason: SelfAttested
Location: